

कार्यालय, जिला परिषद, लखीसराय ।

पत्रांक...../दिनांक.....

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लखीसराय ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

विषय :- अतिअल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2026-27 का प्रकाशन के संबंध में ।

प्रसंग :- जिला अभियंता, जिला परिषद, लखीसराय का पत्रांक 588/दिनांक 04.07.2026

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला अभियंता, जिला परिषद, लखीसराय के द्वारा बड़हिया प्रखंड अवस्थित निरीक्षण भवन (डाक बंगला) में मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य से संबंधित अतिअल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2026-27 का प्रकाशन किया जाना है ।

अतः विज्ञापन सामग्री की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त निविदा को स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- विज्ञापन सूचना ।

विश्वासभाजन

६०/-

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लखीसराय ।

ज्ञापांक 566/दिनांक 09.07.2026

प्रतिलिपि :- सभी समाचार पत्र/प्रेस मीडिया/सोशल मीडिया, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, (NIC) लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित ।



उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लखीसराय ।

**जिला अभियन्ता,
(जिला परिषद् लखीसराय)**

पत्रांक:- 588 / जि०अभि०, जि०परि०ल०, दिनांक:- 4/7/2026

प्रेषक,

ई० संतोष कुमार,
जिला अभियन्ता,
जिला परिषद् लखीसराय।
Mobile No-8002002183

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद् लखीसराय।

विषय:-
में।

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 03/2026-27 का प्रकाशन के संबंध

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, लखीसराय अन्तर्गत अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 03/2026-27 का प्रकाशन हेतु दो प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे किसी दो मान्यता प्राप्त हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:- 1. हार्ड कॉपी दो अदद।
2. सॉफ्टकॉपी (पैन ड्राइव) में।

विश्वासभाजन



जिला अभियन्ता,
जिला परिषद्, लखीसराय।

(जिला परिषद लखीसराय)

अतिअल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या

अतिअल्पकालीन पुर्ननिविदा संख्या- 03 जिला परिषद, लखीसराय / 2026-2027

1. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :- जिला अभियंता, जिला परिषद, लखीसराय।
2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :- 04.07.2026
3. निविदा कागजात प्राप्त करने की (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय :- 20.07.2026 से 24.07.2026 को 5:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय :- 25.07.2026 को 5:00 बजे अपराह्न तक।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान निविदा प्राप्ति का स्थान :- वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in
6. प्री-बीडमीटिंग की तिथि समय एवं स्थान :- 22.07.2026 जिला परिषद सभागार, लखीसराय।
7. निविदा खोलने की तिथि एवं समय (तकनीकी बीड) :- 27.07.2026 को 11:00 बजेपूर्वाह्नतक।
8. निविदा खोलने की तिथि एवं समय (वित्तीय बीड) :- तकनीकी बीड मूल्यांकन के उपरान्त।
9. निविदा वैधता की तिथि :- 120 दिन
10. कार्य विवरणी

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का शुल्क	बीड प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य अवधि
1	जिला परिषद, लखीसराय अन्तर्गत बड़हिया प्रखण्ड अवस्थित निरीक्षण भवन में मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।	2,48,21,900.00	4,96,500.00	10,000.00	5,900.00	एक वर्ष

11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में अथवा अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की हो, निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु इस राज्य में भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं। यह कार्य F₂/SBD पद्धति पर आधारित है तथा F₂/SBD पद्धति के रूप में प्राप्त की जायेगी।
12. परिमाण विपत्र की राशि घट/बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
13. कार्य की विशिष्टियों अथवा निविदा की भातों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की पृच्छा या स्पष्टीकरण प्री-बीड मीटिंग की तिथि को या उससे पूर्व की जा सकती है। उसके बाद निविदा से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जायेगा। ई-निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी ई-मेल आई०डी० eproc2support@bihar.gov.in Working Hours 8.00 am to 7.00 pm से प्राप्त किया जा सकता है। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी eproc2.0 helpdesk, Address-mjunction services ltd., R.J Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S-Shastri Nagar, Patna-800014 से प्राप्त किया जा सकता है एवं हेल्पडेस्क नम्बर 18005726571 पर सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
15. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों कोई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाईट पर निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User ID तथा Password मिलेगा। संवेदक को क्रैक DSC

(Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। User ID Password DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।

16. निविदाताओं को सिर्फ वेबसाईट पर ही निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। निविदा खुलने की जानकारी तथा निविदा सम्बन्धित किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र की जानकारी वेबसाईट से प्राप्त होगी। विस्तृत जानकारी एवं भातों के लिए वेबसाईड (www.eproc2.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।
17. eproc2.0 प्रणाली के तहत मात्र Online विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) ही स्वीकार किये जायेगे यदि किसी निविदा कार्य के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा किया जाना आवश्यक हो तो मात्र B.G (बैंक ग्रांटी) ही स्वीकार किया जायेगा। संवेदक निविदा कागजात के साथ B.G को स्कैन कर अपलोड करना होगा। eproc2.0 में परिणाम विपत्र की राशि Internet Paymet Gateway/Challan के माध्यम से ही लिया जाना है। अगर अग्रधन की राशि B.G के रूप में दी जाती है तो B.G में जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, लखीसराय, योजना का नाम एवं गुप संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा जो भारतीय Schedule बैंक से निर्गत होना आवश्यक है। B.G का निर्गत तिथि निविदा प्रकाशन के बाद की होना चाहिए। इस प्रणाली के तहत बैंक ग्रांटी के Online ही सत्यापन की व्यवस्था होगी।
18. संवेदक द्वारा जमा किया गया अग्रधन की राशि विलम्ब से भुगतान पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
19. बीड प्रोसेसिंग भुलक ऑनलाईन मोड यानी इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
20. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की डाउनलोडेड बिजिबिलिटी (Downloadability/Visibility) से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
21. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
22. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
23. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
24. राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (Debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। विभाग से निलंबित संवेदक भी निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।
25. निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के वाबजूद, कोई संवेदक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे यदि (क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ-पत्र या योग्यता प्रमाण-पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो। (ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड (Record) खराब रहा हो अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य का अधूरा छोड़ दिया हो, निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो।
26. निविदा दर प्रस्ताव के साथ तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/वांछित सूचनाओं पृष्ठ संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (Upload) किया जाना है।
 - (i) पैन कार्ड की छायाप्रति।
 - (ii) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
 - (iii) GST निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 - (iv) संवेदक के अधीन चल रहे कार्यों एवं लम्बित कार्यों की राशि सहित सूची। यदि कोई कार्य नहीं चल रहा हो अथवा कोई कार्य लम्बित नहीं हो तो इस आशय का शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र।
 - (v) घोषणा का शपथ-पत्र (विहित प्रपत्र में) का छायाप्रति।

- (vi) समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराये गये कार्यों का कार्यपालक अभियन्ता के स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- (vii) अभियन्ता संगठन का पूर्ण ब्योरा जिसमें योग्यता प्राप्त अभियन्ताओं का संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव एवं पर्याप्त संख्या में तकनीकी सुपरावाइजरी स्टाफ की पूर्ण विवरणी के साथ संवेदक (नियोजनकर्ता) तथा नियोजित अभियन्ता का प्रति शपथ-पत्र एवं नियोजित अभियन्ता के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- (viii) कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा संवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों के उपलब्ध कराने का शपथ-पत्र एवं जिस व्यक्ति/फर्म जिससे यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरण प्राप्त किया जा रहा हो का प्रति शपथ-पत्र तथा उसके अधीन यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- (ix) समरूप कार्य/असैनिक कार्य का कार्यपालक अभियन्ता स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- (x) अंतिम तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (Chartered Accountant) द्वारा ऑडिटेड वार्षिक टर्न ओवर UDIN सहित (W.E.F 01 जुलाई 2019) की छायाप्रति UDIN नम्बर अंकित नहीं रहने पर Document को बैध नहीं माना जायेगा।
27. सिर्फ तकनीकी बीड उपर्युक्त कंडिका-05 में उल्लेखित तिथि एवं समय पर खोला जायेगा। तकनीकी बीड का मूल्यांकन S.B.D Clause के अनुरूप किया जायेगा एवं तदनुरूप तकनीकी बीड में योग्य पाये जाने वाले संवेदक/संवेदकों का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
28. उक्त निविदा आमंत्रण सूचना S.B.D Clause-4 (Qualification of the bidder) से Guided/आधारित है। P.W.D Account Code में उल्लेखित बिंदु अगर S.B.D Clause की मान्यता दी जा सकेगी। उक्त निविदा E-Proc2 एवं S.B.D Clause पर आधारित है। S.B.D की सभी शर्तें मान्य होगी।
29. भुगतान की प्रक्रिया।
(i) आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।
30. अन्य शर्तें:-
(i) निविदा में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृत नहीं दी जायेगी।
(ii) संवेदक के विपत्र से अन्य आवश्यक कटौतियों के अतिरिक्त 1% (एक प्रतिशत) कर राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।
(iii) संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र-संयंत्रों, गुण-नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
(iv) दस्तावेजों की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
(v) दर के संबंध में और कोई दावा मान्य नहीं होगा।
(vi) सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्ही कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
31. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्तों की एकरारनामा का अंग होगा।
32. अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-7974 (भ०), दिनांक-09.11.2022 द्वारा Unique Document Identification Number (UDIN) संबंधी शर्तें निविदा में लागू होगा।
33. eproc2.0 के निहित संबंधित सभी शर्तें लागू होंगी।
34. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.prdbihar.gov.in/www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।
35. ई-चालान के मूलप्रति एवं मूल शपथपत्र कार्य आवंटन होने के पश्चात् एकरारनामा से पूर्व जिला अभियन्ता, जिला परिषद, लखीसराय अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, लखीसराय के कार्यालय में जमा करना होगा।

36. निविदाप्रपत्र वेबसाईट पर Tender Free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाईट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
37. निविदादाता को समान प्रकृति के कार्य का अनुभव(Work Experience)होना चाहिए जिसकी सत्यापित प्रति निविदा कागजात के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
38. परिमाण विपत्र में निविदादाता की कोई न्यूनतम दर की अवधि सीमा नहीं होगी परिणाम विपत्र की दर से कम दर करने वाले निविदादाताओं को एकरारनामा के समय Additional Performance Guarantee जमा करना आवश्यक होगा। जिसकी राशि पथ निर्माण विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या-447 (S) दिनांक-16.01.2020 एवं भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना का पत्रांक-566 (भ०) दिनांक-17.01.2020 के निहित शर्त इस निविदा में प्रभावी होंगे।
39. प्राक्कलन में निर्देशित विशिष्टियों के अनुरूप मानक गुणवत्ता पूर्ण कार्यों का ही भुगतान किया जायेगा। निर्माण कार्य में उपयोग होनेवाले प्रत्येक सामग्री के गुणवत्ता की संपुष्टि इंजीनियर इंचार्ज से कराने के बाद ही उसका उपयोग सम्बन्धित कार्यों में करना होगा।
40. आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात ही भुगतान एवं अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा कार्य के दौरान आवंटन अनुपलब्ध होने की परिस्थिति में किये गये कार्य का भुगतान लम्बित रहने एवं तदनुसार भुगतान में हुए विलम्ब के संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
41. एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन नहीं करने पर बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधान के तहत संवेदक को निलंबन तथा काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
42. कार्य में ऐसे मदों जो बाद में छिप जायेंगे या बाद में जिनकी मापी नहीं की जा सकती है को मापीपुस्त पर सक्षम पदाधिकारी की सम्पुष्टि के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
43. तीन वर्ष की अवधि तक कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होने पर संवेदक को स्वयं अपने खर्च पर ठीक करना होगा अर्थात इस कार्य हेतु डिफेक्टाईविलिटि अवधि तीन वर्ष होगी।
44. वैसे संवेदक जो किसी विभाग द्वारा डिबार/कालीकृत किये गये हैं, इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे एवं समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभागीय नियमानुसार अगली निविदा से डिबार करने एवं काली सूची डालने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
45. निविदा से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्णकागजात यथा परिमाणविपत्र का मूल्य/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण-पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है स्वयं अभिप्रमाणित करने हेतु स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
46. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए जिला अभियंता, जिला परिषद, लखीसराय अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लखीसराय जिला परिषद, लखीसराय से किसी भी कार्यदिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
47. बिना कारण बताए निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/prdbihar/citizenhomestml/ www.eproc2.bihar.gov.in/EPSV2 Web/ पर देखा जा सकता है।
48. निविदा का तकनीकी मूल्यांकन SBD कंडिकाओं के अनुरूप होगा एवं समय समय पर लागू विभागीय आदेश के आधार पर किया जायेगा।

49. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का 1%(एक प्रतिशत) श्रमिक के लिए से लेकर (CESS)के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
50. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-7282 (भु0) अनु0 दिनांक-08.08.2019 एवं पत्रांक-7818 (भ0)दिनांक-05.02.2021के द्वारा क्रमशः प्राप्त निदेश के अनुपालन में चेकलिस्ट के अनुसार एवं चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ निविदा प्राप्त की जायेगी।
51. लखीसराय जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं इससे पूर्व में आवंटित कार्य किसी संवेदक द्वारा समय सीमा के अन्दर यदि पूर्ण नहीं किया गया है तो वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। फिर भी यदि वे निविदा में भाग लेते हैं तो उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि उक्त अवधि में संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है तो उन्हें संबंधित कार्यपालक अभियंता से कार्यपूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
52. संवेदक द्वारा निविदा में जो भी शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा वह विज्ञापन के पश्चात् का ही निर्गत होना अनिवार्य होगा अन्यथा मान्य नहीं होगा।


जिला अभियंता,

जिला परिषद, लखीसराय।